

Date of
Order or
Proceeding

29-11-16

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

राज्य द्वारा ए डी पी ओ अनुपस्थित।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित।
अभियुक्त चमेलीबाई अनुपस्थित, उसकी हाजिरी माफी का आवेदन
पत्र अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा पेश, जो बिचारोपरांत
स्वीकार किया गया।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

फरियादी/आहत सहित अधिवक्ता श्री रामेन्द्र कौरव
उपस्थित।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु
को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों
के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता
है। अतः न्याय दृष्टांत Afcons Infrastructure Limited Vs
Cheriyar Varkey Construction Company private
Limited (2010)8 SSC 24 में दिए गए निर्देश के अनुसार
मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा
प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री डी.सी.थपलियाल, एएसजे गोहद का चुनाव
किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके
अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को
भेजा जाये। उभय पक्ष आज ही कुछ समय पश्चात् मध्यस्थ के समक्ष
उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता
का परिणाम सफल/असफल जो भी हो आगामी नियत दिनांक तक
सूचित करें।

प्रकरण आगामी दिनांक 22.12.16 को मीडियेशन कार्यवाही
के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनः

राज्य द्वारा ए डी पी ओ अनुपस्थित।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित।

प्रकरण में मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित
प्रस्तुत।

फरियादी/आहत ममता सहित अधिवक्ता श्री रामेन्द्र कौरव
उपस्थित।

फरियादी /आहत की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र,
अनुमति प्राप्त 320 दफ्तरी राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय

राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं अभियुक्त की पहचान उसके अधिवक्ता द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी/आहत संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित हैं। फरियादी के निवेदन पर उसका राजीनामा कथन लिया गया। वह दोनों आरोपीगण से राजीनामा करना चाहती है। अनुपस्थित आरोपी उसकी सास है।

अभियुक्त पर भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 506बी के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 294, 323, 506बी भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति कुछ नहीं है। आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

(A.K. Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gondal Distt. Bhind (M.P.)